भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 332

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना

332. सुश्री इकरा चौधरीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोरी समुदाय, जो हिन्दू जुलाहा की उपजाति है और जिसे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर सहारनपुर कमिश्नरेट में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी करने से मना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि कोरी समुदाय के पात्र सदस्यों को संवैधानिक लाभों से वंचित होने से बचाने के लिए समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी किए जाएं; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव कोरी समुदाय के एक पूजनीय आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक संत कबीर के सम्मान में कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक स्थापित करने का है, ताकि उनकी शिक्षाओं, विरासत और सामाजिक न्याय एवं सद्भाव में उनके योगदान को संरक्षित किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): कोरी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के भाग 18 में क्रम संख्या '50' पर अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस संदर्भ में समय-समय पर कई सरकारी आदेश (जीओ) जारी किए गए हैं, और सभी मंडलायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित कोरी जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग): संस्कृति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****